न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2021 G.C.M.S. No. 2021/00488 दर्ज दिनांक : 03.03.2021

अपीलार्थिगण:

1. रामाराम पुत्र स्वर्गीय धनाजी, जाति भील, उम्र व्यस्क,
2. हटाराम पुत्र स्वर्गीय धनाजी, जाति भील, उम्र व्यस्क,
3. सुरेश कुमार पुत्र स्वर्गीय धनाजी, जाति भील, उम्र व्यस्क,
4. कीकाराम पुत्र स्वर्गीय धनाजी, जाति भील, उम्र व्यस्क,
5. भूरी बेवा स्वर्गीय धनाजी, जाति भील, उम्र व्यस्क,
   सर्व निवासीयान भीमान, तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही।
6. गेरी पुत्री धनाजी पत्नी भाणाजी, जाति भील, उम्र व्यस्क, निवासी तरूंगी, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही।
7. देवली पुत्री धनाजी पत्नी नवारामजी भील, जाति भील, उम्र व्यस्क, निवासी खडात, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही।
8. सजना पुत्री धनाजी पत्नी बाबूरामजी, जाति भील, उम्र व्यस्क, निवासी खडात तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. वागराम पुत्र स्वर्गीय बदाराम, जाति भील, उम्र व्यस्क, निवासी भीमाना, तहसील पिण्डवाड, जिला सिरोही।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही।
3. शारदा देवी पत्नी केसराराम जाति भील उम्र 40 वर्ष निवासी डोली फली, तरूंगी, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पिण्डवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2012 बअनवान वागाराम बनाम रामाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2021

पैरोकार:–

1. श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, श्री नारायण पटेल, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री फिरोज खान पठान, श्री संजय दहिया, श्री ईसाराम विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 30.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पिण्डवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2012 बअनवान वागाराम बनाम रामाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधनियम के तहत् इस आशय का पेश किया कि खसरा संख्या 137/7 रकबा 2 बीघा की गांव भीमाना में स्थित कृषि आराजी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा के संबंध में खातेदार दाना वल्द बदा का नाम हटाकर वादी के नाम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सं. 137/7 रकबा 2 बीघा अपीलांट संख्या 1 ता 8 के पिता दाना वल्द बदा को दिनांक 28.06.1976 को आवंटित हुई थी एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार जांच कर दाना वल्द बदा को आवंटित कर उसे गैर–खातेदार का नामान्तरकरण भरा गया था। जिस पर नियमानुसार दाना वल्द बदा का कब्जा काश्त होने से उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। उस समय से दाना वल्द बदा वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहा है एवं दाना वल्द बदा के देहावसान पर बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण वारिसान् अपीलेन्ट संख्या 1 ता 8 के नाम भरा गया है एवं अपीलेन्ट सं. 1 ता 8 बतौर खातेदार अपने खातेदारी हक जताते एवं बताते रेस्पोडेन्ट की जानकारी में कदीम से काबिज काश्त है। दाना वल्द बदा को धना वल्द बदा के नाम से भी जाना एवं पहचाना जाता है। दाना वल्द बदा एवं धना वल्द बदा एक ही व्यक्ति हैं, जो अपीलेन्ट संख्या 1 ता 4 का पिता, अपीलेन्ट सं. 5 का पति एवं अपीलेन्ट सं. 6 ता 8 का पिता है। उक्त सभी तथ्य पत्रावली पर मौजूद है तथा अपीलेन्ट संख्या 1 ता 8 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था। उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर तनकीयात् कायम की थी एवं वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी एवं प्रस्तुत दस्तावेजा को प्रदर्शित करवाया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलेन्ट संख्या 1 ता 8 के विरूद्ध कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के संबंध में गलत कथनों के आधार पर इसी वादग्रस्त आराजी को लेकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पिण्डवाडा, में ईस्तगासा प्रस्तुत किया था, जो जांच हेतु पुलिस थाना रोहिडा को प्रेषित किया गया था, जिस पर पुलिस थाना रोहिडा ने मुकदमा संख्या 24 दिनांक 02.02.2013 को दर्ज रजिस्टर कर बाद अनुसंधान पुलिस थाना रोहिडा ने उक्त प्रकरण को अदम वकू झूठ का पाया जाकर एफ.आर. प्रस्तुत की थी। उक्त एफ.आर में अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने यह पूर्ण रूप से जांच कर पाया था कि वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 137/7 रकबा 2 बीघा ग्राम भीमाना में धना पुत्र बदा भील के नाम की है। इस संबंध में धना पुत्र बदा भील को ही दाना के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नाम से पहचाना जाना, जिसकी ताईद पटवारी जेठमल सरपंच हरीसिंह, अम्बालाल एवं वार्ड पंच मोहनलाल, भंवरी देवी, प्रेमाराम, श्रीमती तगी बाई, नवाराम भील एवं अन्य ने की है तथा मौके पर कब्जा भी अपीलेन्ट संख्या 1 ता 8 का पाया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास वादग्रस्त सम्पति के संबंध में पासबुक नहीं होने से उसने दाना पुत्र बदा भील होकर पासबुक जारी करवाकर अपना स्वयं का फोटो लगाकर हल्का पटवारी भीमाना से चस्पा करवाया गया, इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी ने पटवारी हल्का भैराराम के बयान कलमबद्ध किये, जिस पर पटवारी हल्का ने जाहिर किया कि उक्त फोटो ग्राम भीमाना में कैम्प में कार्य की अधिकता होने से व विश्वास के आधार पर उक्त फोटो को पटवारी हल्का ने सहवन से तस्दीक करना बताया है। इस प्रकार यह पूर्णतया प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि दाना वल्द बदा के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। जिसकी पासबुक पर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा फोटो चस्पा कर देने से उक्त कृषि भूमि का वह खातेदार नहीं माना जा सकता है। वादग्रस्त आराजी का आवंटन दाना वल्द बदा के नाम से होने के पश्चात् उसके नाम से गैर–खातेदारी का नामान्तरकरण दायर किया गया था एवं उसका नियमानुसार कब्जा एवं काश्त रहने से उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे एवं दाना उर्फ धना वल्द बदा का देहावसान होने के पश्चात् वादग्रस्त आराजी का नियमानुसार नामान्तरकरण अपीलेन्ट संख्या 1 ता 8 के पक्ष में भरा गया था। इस सभी कार्यवाही में कब्जे की पुष्टि अपीलेन्ट संख्या 1 ता 8 के हक में हुई है। इस प्रकार शुरूआत से ही कब्जा काश्त अपीलेन्ट का है। कृषि कार्य होने से गिरदावरी भी अपीलेन्ट के हक में भरी गई है। उक्त सभी दस्तावेज रेकर्ड पर मौजूद होने के उपरांत भी मात्र फोटो के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने गलत व्याख्या की है। जबकि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा कब्जे के अभाव में कानूनन धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद कानूनन परिपोषणीय नहीं है। वादग्रस्त आराजी दाना वल्द बदा को आवंटन एवं सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखंड अधिकारी द्वारा आवंटित की गई। दाना वल्द बदा एवं धना पुत्र बदा जाति भील एक ही व्यक्ति है। इस संबंध में ग्राम पंचायत भीमाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र पुलिस अनुसंधान में गवाहान से लिये गये बयान एवं माननीय न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि खातेदार दाना वल्द बदा एवं धना वल्द बदा एक ही व्यक्ति है। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

तथ्य पूर्णतया प्रमाणित होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में गलत व्याख्या की। वादग्रस्त आराजी का दाना वल्द बदा को आवंटन होने के पश्चात् उसके पक्ष में गैर-खातेदारी एवं तत्पश्चात् खातेदारी का नामान्तरकरण नियमानुसार कब्जे आदि की जांच कर पारित किये गये है। उक्त दोनों ही नामान्तरकरण को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कभी भी चुनौती नहीं दी है। इन नामान्तरकरण को निरस्त कराये बगैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद कानूनन परिपोषणीय नहीं था। इसके बावजूद भी इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज किया गया। वादग्रस्त सम्पति अपीलांट संख्या 1 ता 8 के पूर्व रसाधिकारी दाना उर्फ धना वल्द बदा के खातेदारी, मालिकी, स्वामित्व की है, जिनके देहावसान पश्चात् नियमानुसार अपीलेन्ट के नाम नामान्तकरण दायर किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के या उसके पूर्व रसाधिकारी किसी के भी नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि कभी भी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की नहीं रही है। इसके उपरांत भी दाना वल्द बदा के नाम जारी पासबुक पर मात्र वादी रेस्पोडेन्ट वागाराम का फोटो चस्पा होने से उसी को आधार मानकर वादी के पक्ष में वाद को डिक्री कर खातेदारी अधिकार प्रदान करने में अधीनस्थ न्यायालय ने घोर लापरवाही बरती है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या की और से जो फौजदारी प्रकरण प्रस्तुत किया था उसमे अनुसंधान अधिकारी ने एफ. आर. अदम व झूठ में प्रस्तुत की थी। जिसमें भी यह पाया था कि परिवादी बागाराम ने मात्र अपीलेन्ट की कृषि भूमि की हडपने की नियत से व दबाव बनाने के लिए उक्त फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया है। वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के बाद से उक्त कृषि भूमि पर धना पुत्र बदा भील द्वारा खेती करना एवं धना की मृत्यु के बाद धना के वारिसदारों द्वारा खेती करना पाया गया है। परिवादी वागाराम का उक्त खसरा संख्या 137/7 में कोई कब्जा नहीं रहा। परिवादी द्वारा खसरा संख्या 134 में खेती करना पाया गया है। उक्त दस्तावेज रेकर्ड पर उपलब्ध होने के उपरात भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में कोई व्याख्या नहीं की है एवं मात्र कयास के आधार पर विवाद्यक को तय किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वर्गीय दाना वल्द बदा को वाद में पक्षकार संख्या 8 के रूप में संयोजित किया है, जबकि दाना वल्द बदा का देहावसान वाद प्रस्तुति के पूर्व ही हो चुका था। प्रतिवादी संख्या 9 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किया हैं एवं मृत व्यक्ति के विरूद्ध वादी द्वारा प्रस्तुत वाद ही कानूनन परिपोषणीय नहीं था। लेकिन इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की काई व्याख्या नहीं की है। स्वर्गीय दाना उर्फ धना पुत्र बदा का

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

देहावसान वाद प्रस्तुति के पूर्व ही हो चुका है, जिसके वारिसदार एवं कायम मुकाम अपीलेन्ट ही है, जिससे दाना वल्द बदा को अपीलेन्ट ने अपील में पक्षकार नहीं बनाया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को पारित करने में कानूनन एवं वाक्यातन गलती कारित की है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट की स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी हक घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धरा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2021 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावा व जवाबदावा के आधार पर प्रकरण में कुल 4 विवाद्यक विरचित किए जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्य समायत कर बाद बहस विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री किया गया। प्रकरण का विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार हैः–

विवाद्यक संख्या 01– आया वाद पत्र के पद संख्या 1 व 2 अनुसार ग्राम भीमाना तहसील पिण्डवाडा में वादी को आंवटित शुदा कृषि भूमि खाता संख्या 149 खसरा संख्या 137/7 रकबा 2 बीघा स्थित है जो वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की है?........जिम्मे वादी

यह विवाद्यक वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के जिम्मे था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक आवंटन आदेश, वादी के प्रमाणित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

फोटोयुक्त, कृषि जोत की पासबुक एवं मौके के फोटोग्राफस के आधार पर उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में निर्णित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी बागाराम पुत्र बदाराम भील द्वारा वादग्रस्त आराजीयात उसे आवंटित होने, आवंटन आदेश में त्रुटिवश बागा वल्द बदा के स्थान पर दाना वल्द बदा अंकित करने से इसी अनुसार जमाबंदी में गलत रूप से दाना वल्द बदा अंकित हो गया। जबकि राजस्व कार्मिकों द्वारा खातेदार के नाम जारी पासबुक पर खातेदार के रूप में वादी का फोटोग्राफ है। दाना वल्द बदा नाम को कोई व्यक्ति नहीं है। तथा वास्तविक आवंटी वादी ही है तथा वादी के ही कब्जे काश्त में है। प्रतिवादीगण द्वारा गलत रूप से दाना पुत्र बदा का फौतगी नामान्तरण स्वीकृत करवाते समय दाना उर्फ धना पि. बदा अंकित करवाते हुए अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवा दिया। जबकि प्रतिवादीगण धना वल्द बदा के वारिसान है। प्रदर्श–डी 1 भू–आवंटन सलाहकार समिति की बैठक कार्यवाही दिनांक 29.06.1976 के क्रम संख्या 132 व 133 पर आवंटी क्रमशः दाना वल्द बदा भील व राणा वल्द बदा भील प्रत्येक को 2–2 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन किये जाने का इन्द्राज है। प्रदर्श–डी 9 आबू विधानसभा के क्षेत्र के भाग संख्या 161 की नामावली वर्ष 1971 के क्रम संख्या 264 पर वागा पुत्र बदा उम्र 25 वर्ष तथा क्रम संख्या 144 पर धनीया पुत्र बदा उम्र 42 वर्ष दर्ज है। प्रदर्श–7 व 8 के अनुसार बागाराम पुत्र बदा की जन्म तिथि 29.06.1956 है तथा भारतीय रेल्वे में दिनांक 11.12.1982 को गैंगमेन के पद पर मोरथला/किवरली में अस्थाई तथा दिनांक 09.02.1989 को नियमित नियुक्ति की गयी। वादग्रस्त आराजीयात की खसरा गिरदावरी संवत् 2041 के अनुसार धना पुत्र वदा गैर खातेदार दर्ज है। ग्राम पंचायत भीमाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 18.02.2013 प्रदर्श–डी 2 के अनुसार धना उर्फ दाना पुत्र बदा जाति भील दोनो एक ही व्यक्ति है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात दाना वल्द बदा भील को आवंटित की गयी। तथा गैर खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात् आवंटी को खातेदारी प्रदान की गयी। मौके पर खसरा गिरदावरी अनुसार धना वल्द बदा का कब्जाकाश्त रहा है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार धना व दाना एक ही व्यक्ति है। वादी रेस्पोडेण्ट द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–2ए पासबुक फोटोप्रति व मौके के

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

फोटोग्राफ प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेजात से यह कताई स्पष्ट नहीं होता है कि वागा व दाना एक ही व्यक्ति हो। यह भी स्पष्ट है कि वादी वागाराम भारतीय रेल्वे में कर्मचारी रहा है। तथा वादी का नाम व जन्म तिथि अभिलेख से स्पष्ट है। प्रकरण में प्रदर्श–डी 10 पुलिस थाना रोहिड़ा द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 24/2013 में अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी दाना पुत्र बदा भील के नाम आवंटित होना तथा आवंटन से धना पुत्र बदा द्वारा काश्त किया जाना स्पष्ट है। अतः हमारे विनम्र में उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होता है। तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसे वादी के पक्ष में निर्णित कर कानूनन भूल की है। अतः उक्त विवाद्यक के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत व निर्णय को अपास्त करते हुए उक्त विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 02– आया वादपत्र के पद संख्या 2 अनुसार उक्त कृषि भूमि को आवंटित करते समय त्रुटीवश वादी के स्थान पर "दाना वल्द बदा" नाम इन्द्राज हुआ है?.....जिम्मेवादी

यह विवाद्यक वादी के जिम्मे रखा गया। तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक कृषि जोत पासबुक पर वादी का फोटो होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी वादी को आवंटित होने तथा वादी के स्थान पर त्रुटिवश दाना वल्द बदा नाम अंकित होना साबित मानते हुए उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में निर्णित किया है।

हमारे विनम्र मत में विवाद्यक संख्या 01 के विवेचन व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात दाना वल्द बदा को आंवटित की गयी थी। मौके पर धना वल्द बदा का कब्जाकाश्त रहा है, वादी वागाराम भारतीय रेल्वे में कार्मिक है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी दस्तावेज अनुसार दाना व धना वस्तुतः एक ही व्यक्ति है। तथा दाना के फौत होने पर धना के वारिसान के नाम फौतेगी नामान्तरण दर्ज किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत पासबुक की फोटो प्रति प्रथमः तो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। साथ ही पासबुक पर चिपकाये गये फोटो की फोटो प्रति यह साबित नही करती कि आवंटी दाना नहीं होकर वागा था। अतः उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होता है। तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में निर्णित कर कानूनन भूल

राजस्व अपील प्राधिकारी

की है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अभिमत को अपास्त करते हुए उक्त विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 03– आया वादपत्र के पद संख्या 4 अनुसार वादी के भाई "धना" की मृत्यु पश्चात उसके वारिसदार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर अपने पूर्वज "धना" को "दाना उर्फ धना" बताकर वादग्रस्त आराजी का अपने नाम गलत रूप से म्यूटेशन दर्ज करवाया है जो अवैद्य और शून्य है?.....जिम्मेवादी

यह विवाद्यक वादी के जिम्मे रखा गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक के पक्ष में निर्णित किया है तथा स्वीकृत नामान्तरण को प्रारम्भतः शून्य होना अंकित किया है।

हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक विवेचना से परे जाकर अपना अभिमत अंकितं किया है। चूंकि प्रथमः तो उक्त विवाद्यक ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरण की वैद्यता के संबंध में जिसका निर्णय सक्षम न्यायालय में ऐसे नामान्तरण आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के निर्णय में सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। चूंकि प्रथम दृष्टतया स्वीकृत नामान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतः इसे प्रारम्भतः शून्य या अवैध नहीं कहा जा सकता। पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी दाना वल्द बदा को आवंटित की गयी। तथा मौके पर धना वल्द बदा का कब्जाकाश्त रहा है, वादी वागाराम भारतीय रेल्वे में कार्मिक है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी दस्तावेज अनुसार दाना व धना वस्तुतः एक ही व्यक्ति है। तथा दाना के फौत होने पर धना के वारिसान के नाम फौतेगी नामान्तरण दर्ज किया गया। जब निरक्षर ग्रामिण आदिवासी परिवार के पास पहचान के अधिकारिक दस्तावेज नहीं हो तो स्थानीय स्तर पर वस्तुतः प्रचलित नाम ही अभिलेख में दर्ज कर लिया जाता है। तथा अनय दस्तावेजात में भाषायी उच्चारण में भिन्नता के आधार पर वस्तुतः भिन्न नाम भी दर्ज हो जाता है। हस्तगत प्रकरण में दाना व धना नाम वस्तुतः इसी प्रचलन की उपज है। वादी वागाराम तो भारतीय रेल्वे का कार्मिक रहा है। अतः उसका अधिकारिक व प्रचलित नाम एक ही हो सकता है, वह बागाराम है। वागा व दाना एक नहीं हो सकता है। फौतगी नामान्तरण के दौरान स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मृतक खातेदार एवं उसके वारिसान की जांच उपरांत नामान्तरण की कार्यवाही की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हस्तगत प्रकरण में भी ऐसा ही किया गया। अतः उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होता है। तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में निर्णित कर कानूनन भूल की है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अभिमत को अपास्त करते हुए उक्त विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 04– आया जवाबदावा के पद संख्या 6 अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रविवादी सख्या 1 ता 8 के पूर्व "दाना उर्फ धना" को सन् 1976 में आवंटित हुई है?.....जिम्मे प्रतिवादीगण

यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के जिम्मे रखा गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं पूर्व विवेचित व निर्णित विवाद्यक संख्या 01 के विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात दाना वल्द बदा को आवंटित की गयी थी। भू–अभिलेख में आवंटी के नाम नामान्तरण दर्ज होकर आरम्भ में गैर खातेदार तथा बाद में खातेदार दर्ज किया गया। वादी का नाम बागाराम पुत्र बदा जाति भील है। वादी व प्रतिवादी धनाराम परस्पर भाई है। बागाराम भारतीय रेल्वे का कार्मिक है। वादी बागाराम द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत व प्रदर्श नहीं करवाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि आवंटी दाना व वादी वागा एक ही व्यक्ति हो या वादग्रस्त आराजी वादी को आवंटित की गयी हो। वादी द्वारा प्रस्तुत पासबुक की फोटोप्रति जिस पर लगे फोटो की फोटो प्रति के संबंध में वादी का उज्र कि उक्त फोटो वादी की है। जबकि उक्त पासबुक आवंटी खातेदार के नाम जारी की गयी है। किसी फोटो से वादी को भूमि आवंटन किया जाना साबित नहीं होता है। वादग्रस्त आराजीयात की खसरा गिरदावरी से भी प्रतिवादी धना वल्द बदा का कब्जाकाश्त स्पष्ट है। पूर्व विवेचित विवाद्यक संख्या 03 के विवेचन अनुसार दाना व धना वस्तुतः एक ही व्यक्ति है। तथा स्थानीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा धना के वारिसान के नाम फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उक्त विवाद्यक प्रतिवादी द्वारा बखूबी साबित किया गया। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार व स्वीकार्य कारण के उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया है। जो पुष्टि योग्य नहीं है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अभिमत को अपास्त करते हुए उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित कोई विवाद्यक विरचित नहीं होने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया गया, जो पुष्टि योग्य नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विन्रम अभिमत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं है। तथा अपीलाण्ट द्वारा अपील को बखूबी साबित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पिण्डवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2012 बअनवान वागाराम बनाम रामाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2021 को अपास्त किया जाता है। संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात की भू–अभिलेख की अपास्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2021 के ठीक पूर्व की स्थिति बहाल करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner